आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण तामील के बाद भी उपस्थित नहीं हैं अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 04.3.20 को पेश हो।

उप जिला कलैक्टर
महवा (दौसा)

दिनांक 04–03–2020

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सरावली तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 261/1.19, 431/0.14, 432/0.03, 432/516/0.14, 433/0.08, 473/0.34, 474/0.62 कुल किता 7 रकबा 2.54 हैक्टयर सायलान व गैरसाल संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। खातेदारान अपने अपने हिस्सा के अनुसार काबिज है किन्तु गैरसायल संख्या 1 सायलान की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू है। अतः गैरसायल संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये । गैरसायलान तामील के बाद भी उपस्थित नहीं है। अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

सायलान के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सवत 2072–75 के अनुसार ग्राम

उप जिला कलैक्टर
महवा (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर महवा, जिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम.......................... मु.सं.
	सरावली तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 261/1.19, 431/0.14, 432/0.03, 432/516/0.14, 433/0.08, 473/0.34, 474/0.62 कुल किता 7 रकबा 2.54 हैक्टयर सायलान व गैरसायल संख्या 1 की सहखातेदारी में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सायलान वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। अतः गैरसायल संख्या 1 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम सरावली तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 261/1.19, 431/0.14, 432/0.03, 432/516/0.14, 433/0.08, 473/0.34, 474/0.62 कुल किता 7 रकबा 2.54 हैक्टयर के मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। निर्णय सुनाया गया। 4/3/20 उप जिला कलेक्टर महवा (दौसा)